प्रेस नोट
दिनांक 28-10-2026

पशु चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 06 अदद चोरी की भैंसें, पिकअप वाहन, 02 मोटरसाइकिल व ₹20,000/- बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही/ घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.10.2026 की रात्रि थाना को0 कर्नलगंज एवं एसओजी/ सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी, इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज व आसपास के थाना क्षेत्रों में भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ व्यक्ति चोरी की भैंसों को पिकअप वाहन में लादकर परसपुर की तरफ से घाघरा घाट की ओर जा रहे हैं तथा दो मोटरसाइकिलों से कुछ व्यक्ति पिकअप वाहन की रेकी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नकहरा चौराहे के पास बंधे पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर पिकअप चालक व अन्य कुछ व्यक्ति अंधेरे एवं झाड़ियों का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जबकि पिकअप वाहन में सवार 02 व्यक्तियों तथा दोनों मोटरसाइकिल चालकों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 04 अदद काली भैंसें बरामद हुईं। पूछताछ एवं अभियुक्तों की निशानदेही पर जरवल कस्बे के पास कटी नाला स्थित आम की बाग के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 02 अन्य चोरी की भैंसों को भी बरामद किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ में थाना कर्नलगंज, थाना परसपुर, थाना को0 देहात एवं थाना खरगूपुर क्षेत्र में भैंस चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात प्रकाश में आई। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के पशुओं की बिक्री से प्राप्त ₹20,000/- नगद तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन व 02 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे सभी एक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। गिरोह के सदस्य दिन में गांवों में घूमकर ऐसे स्थानों की रेकी करते थे, जहां लोग अपने दुधारू पशुओं को घर के बाहर बांधकर रखते हैं। रात्रि में मौका पाकर भैंस व अन्य पशुओं को चोरी कर नदी के कछार एवं झाड़ियों में छिपाकर रखते थे। पर्याप्त संख्या में पशु एकत्र होने पर उन्हें पिकअप वाहन में लादकर दूर-दराज के पशु बाजारों में बेच देते थे तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.10.2026 की रात्रि ग्राम घरकुइया से 02 भैंस तथा दिनांक 22.10.2026 की रात्रि ग्राम शाहपुर थाना परसपुर क्षेत्र से 02 भैंस चोरी की गई थीं। इसके अतिरिक्त दिनांक 12.09.2026 की रात्रि ग्राम रथवलिया थाना को0 देहात से 01 भैंस व 01 पड़िया तथा दिनांक 26.09.2026 की रात्रि ग्राम असिधा थाना खरगूपुर से 01 भैंस चोरी कर बिक्री करना बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि आपस में जरिए दूरभाष संपर्क में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **चांद बाबू पुत्र मो0 नसीर**, निवासी आलापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी
2. **फुरकान पुत्र मो0 सफीक,** निवासी आलापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।
3. **गौतम पुत्र स्व0 मंगल बेड़िया**, निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर
4. **दूबेराज उर्फ लक्ष्मण पुत्र शकील उर्फ धाकड़**, निवासी परवरभारी, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

- 06 अदद चोरी की भैंसें
- 01 अदद पिकअप वाहन संख्या **UP32SN3922(वाहन अखलाक के नाम से रजिस्ट्रेशन है।)**
- 01 अदद हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है।
- 01 अदद स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल संख्या **UP41BR6942**। **(मो0सा0 रिजवान के नाम से रजिस्ट्रेशन है)**
- विभिन्न चोरी की घटनाओं में पशुओं की बिक्री से प्राप्त कुल **₹20,000/- नगद**।

अनावरित अभियोग-

01- मु0अ0सं0 625/2026, धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02- मु0अ0सं0 641/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03- मु0अ0सं0 877/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04- मु0अ0सं0 252/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त फुरकान पुत्र मो0 सफीक का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0- 582/25, धारा 305ए,317(2) बीएनएस को0 बाराबंकी
02- मु0अ0सं0- 584/25, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को0 बाराबंकी

अभियुक्त दूबेराज उर्फ लक्ष्मण पुत्र शकील उर्फ धाकड़ का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0-319/25, धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना बड्डूपुर बाराबंकी
02- **मु0अ0सं0-331/25,** धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना बड्डूपुर बाराबंकी

अभियुक्त गौतम पुत्र स्व0 मंगल बेड़िया का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 118/24 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
02- मु0अ0सं0 062/25 धारा 115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
03- मु0अ0सं0 318/26 धारा 303(2)/351(3) बीएनएस थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष **अभय सिंह** थाना को0 कर्नलगंज मय टीम।
2. आशुतोष सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम।
3. मनीष कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
4. उ0नि0 **अक्षय कुमार मिश्र**
5. उ0नि0 **अंकित सिंह**, प्रभारी चौकी चचरी
6. उ0नि0 **गौरव सिंह**, प्रभारी चौकी भभुआ
7. उ0नि0 **अजय कुमार यादव**

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28-10-2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा झपटमारी की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹4,210/- नकद बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2026 को वादी मनोज कुमार वर्मा पुत्र अलखराम वर्मा निवासी ग्राम बछईपुर (बुचियापुर), थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर तहरीर दी गई कि समय करीब 08:00 बजे रात्रि में सिंहपुर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उनके ₹8,900/- नकद व एक रियलमी एंड्रॉयड मोबाइल फोन छीन लिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0 349/2026, धारा 304(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

दिनांक 27.10.2026 की रात्रि में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु की जा रही कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आनन्द नगर चौराहे से मोतीगंज जाने वाले मुख्य मार्ग से 02 अभियुक्तों 1. ताराचन्द पासवान एवं 2. कमलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल ₹4,210/- नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने साथी लौटन सोनकर के साथ मिलकर दिनांक 06.10.2026 को सिंहपुर के पास एक साइकिल सवार व्यक्ति से झपट्टा मारकर ₹8,900/- नकद व मोबाइल फोन छीन लिया था। घटना के बाद तीनों ने नकदी आपस में बराबरबराबर बांट ली थी तथा छीना गया मोबाइल फोन लौटन - सोनकर के पास होना बताया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **ताराचन्द पासवान** पुत्र स्वर्गीय रामबदल निवासी नैपुरिया, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. **कमलेश वर्मा** पुत्र हरीराम वर्मा निवासी निसारूपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा, उम्र करीब 30 वर्ष।

अनावरित अभियोग-

01- मु0अ0सं0 349/2026, धारा 304(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त- ताराचन्द पासवान पुत्र स्व0रामबदल निवासी नैपुरीया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

1.मु0अ0सं0-128/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
2.मु0अ0सं0-259/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा
3.मु0अ0सं0-009/2025 धारा 238/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना को0 देहात बलरामपुर
4.मु0अ0सं0-254/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात बलरामपुर
5.मु0अ0सं0-10/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना महाराजगंज तराई बलरामपुर
6.मु0अ0सं0-376/2021 धारा 307/34 भादवि थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
7.मु0अ0सं0-377/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
8.मु0अ0सं0-012/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलामपुर
9.मु0अ0सं0-69/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलामपुर

10.मु0अ0सं0-081/2025 धारा 305(ई)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलामपुर
11.मु0अ0सं0-85/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलामपुर
12.मु0अ0सं0-178/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना को0देहात जनपद बलामपुर
13.मु0अ0सं0—357/2021 धारा 34/382/411 भादवि0 थाना उतरौला जनपद बलामपुर
14.मु0अ0सं0-56/2014 धारा 380/411 भादवि0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
15.मु0अ0सं0-349/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

अभियुक्त- कमलेश वर्मा पुत्र हरीराम वर्मा निवासी निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

1.मु0अ0सं0-106/2023 धारा 323/324/427/504/506 भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
2.मु0अ0सं0-344/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
3.मु0अ0सं0-143/2026 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
4.मु0अ0सं0-020/2024 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
5.मु0अ0सं0-099/2026 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा
6.मु0अ0सं0-143/2026 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा
7.मु0अ0सं0-349/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

बरामदगी-

- ₹4,210/- नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।
3. हे0का0 सतपाल यादव।
4. हे0का0 शिवम मिश्रा।
5. का0 निखिल राठौर।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 28-10-2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 05.03.2026 की रात्रि में थाना तरबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रांगी निवासी बदी यादव पुत्र लखन यादव की 02 भैंस एवं 06 माह की 01 पड़िया अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई थीं। काफी तलाश करने के बाद भी पशुओं का पता न चलने पर वादी द्वारा दिनांक 08.03.2026 को थाना तरबगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—
थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0086/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 नफर अभियुक्तों को जनपद अयोध्या के थाना रौनाही क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. **कुलदीप पासवान** पुत्र अवधेश प्रसाद निवासी कोला (काली का पुरवा), थाना रौनाही, जनपद अयोध्या
2. **नौशाद** पुत्र हनीफ निवासी शेखपुर जाफर, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या

पंजीकृत अभियोग—
01- मु0अ0सं0 0086/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
2. हे0का0 अजय सिंह।
3. का0 ऋतुराज सक्सेना।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28-10-2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनशिकायतों के निस्तारण एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में समीक्षा गोष्ठी आयोजित-

गोण्डा। आज दिनांक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। यह गोष्ठी दिनांक 27.10.2026 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण एवं प्रदेश में हाल ही में घटित अपराधों की समीक्षा के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों से सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा IGRS, जनसुनवाई एवं महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने, लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। गोष्ठी के दौरान जनपद में हाल ही में घटित अपराधों की भी समीक्षा की गई तथा अपराध नियंत्रण एवं प्रभावी पुलिसिंग के दृष्टिगत थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लंबित अभियोगों की विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को जनसामान्य की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पारदर्शी एवं जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने तथा आमजन को समय से न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2026

गोण्डा पुलिस द्वारा फर्जी नौकरी, पार्ट-टाइम कार्य एवं ऑनलाइन टास्क के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में आज दिनांक **28.10.2026** को गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आमजन को **फर्जी नौकरी, पार्ट-टाइम कार्य एवं ऑनलाइन टास्क के नाम पर होने वाली साइबर ठगी** के संबंध में जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि साइबर ठग सोशल मीडिया, WhatsApp, Telegram, SMS एवं ई-मेल के माध्यम से आकर्षक नौकरी/पार्ट-टाइम कार्य का झांसा देकर अत्यधिक वेतन एवं कम समय में अधिक कमाई का लालच देते हैं तथा बाद में रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टास्क अपग्रेड, टैक्स एवं अन्य शुल्क के नाम पर धनराशि जमा कराने के बाद ठगी करते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई कि नौकरी के लिए केवल विश्वसनीय एवं आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल का ही प्रयोग करें, अनजान व्यक्ति अथवा कंपनी के खाते में पैसे न भेजें, किसी अज्ञात लिंक, QR कोड अथवा APK फाइल पर क्लिक/डाउनलोड न करें तथा OTP, बैंक खाता विवरण, UPI PIN एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करें। किसी कंपनी अथवा नौकरी की वैधता की जांच उसके आधिकारिक माध्यम से करें और लालच भरे ऑफर पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल **राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930** पर शिकायत करें तथा **www.cybercrime.gov.in** पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि **लालच से बचें, सतर्क रहें एवं सुरक्षित रहें।**

मीडिया सेल, गोण्डा।